संख्या : 1865/–53/21(3)–दो/2010

प्रेषक,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

अपर शिक्षा निदेशक
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

दिनांक 9 जुलाई, 2010

आंग्ल भाषा अनुभाग

विषय :– नैन्सी इण्टरनेशनल स्कूल डोईवाला, देहरादून को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

महोदय,

शासन के पत्र संख्या–1064/XXIV-3/10/01(19)/2010 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 दिनांक 30 जून 2010 द्वारा नैन्सी इण्टरनेशनल स्कूल डोईवाला, देहरादून को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किया गया है :–

(क) उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौंऊसिल फार दि इण्डियन स्कूल सार्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सैकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डो द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
(ख) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
(ग) विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
(घ) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
(ड़) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एज्यूकेशन नई दिल्ली/कौंऊसिंल फार इण्डियन स्कूल सार्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
(च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को अनमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
(छ) विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगें।
(ज) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें, संस्था उनका पालन करेगी।
(झ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
(ट) उक्त शर्तो में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2– उक्त विद्यालय द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण सम्बन्धी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

3– उक्त समस्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये सम्बन्धित संस्था को सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता प्राप्त होते ही सम्बद्धता की एक प्रति निदेशालय को भी उपलब्ध करायें।

संलग्न– उक्त शासनादेश की छाया प्रति

भवदीय,
9/7/10
(डॉ. जी.सी. बडोनी)
स्टॉफ आफिसर
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं./ 1865–53 /21(3)–दो/ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
2. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, नैन्सी इण्टरनेशनल स्कूल डोईवाला, देहरादून।

9/7/10
(डॉ. जी.सी. बडोनी)
स्टॉफ आफिसर
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

Scanned with CamScanner